

न्यायालय तहसीलदार सिकराय

सरकार

बनाम हरफूल माली

मु.नं. 28 /2018

निर्णय दिनांक 21.2.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अगावली ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहत न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि अप्रार्थी श्री हरफूल माली पुत्र श्री बुसाश/चात्या जाति माली निवासी अगावली ने ग्राम अगावली की आराजी खसरा नम्बर 551 कुल रकबा 65.71 हेक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 0.01 हेक्टेयर भूमि पर सम्बत् 2074 में गै.मु.बोरिंग कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आयुक्त अतिक्रमण होना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे की अप्रार्थी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाईटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है और उसे उक्त भूमि पर से बेदखल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अप्रार्थी को एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल के आदेश दिये जाते हैं तथा उस पर लगान 0.28 का 50 गुणा शास्ति 14/- रुपये आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को एवं बेदखली/वसूली हेतु भू. अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शले 4 जन 2017-18

पर 14/

क.प.स.स.स. 95
की न्यायी की गई

तहसीलदार सिकराय

तहसीलदार सिकराय

सिकराय(बीसा)